कृषि ऋण वितरण में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगाँव की भूमिका

[1]डॉ. हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा [2]भुनेश्वर प्रसाद
प्राध्यापक – वाणिज्य व्याख्याता – एम.ओ.एम.
[1]शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
[2]उदउ प्रसाद उदउ शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग (छ.ग.)

भूमिका

किसी भी प्रकार के आर्थिक कार्यों में वित्त की अहम भूमिका होती हैं। कृषि वित की समस्या वाणिज्य एवं उद्योग के वित्त की समस्या से भिन्न है। "कृषि में वित्त का उतना ही महत्व है, जितना की उद्योग एवं अन्य आर्थिक क्रिया–कलापों में। कृषि कार्यो के सुगम संचालन एवं विस्तार तथा कृषि विकास हेतु वित्त की बड़ी आवश्यकता होती हैं।"[1] कृषि वित्त की पूर्ति में सहकारी वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भी उनमें से एक है जो त्रि–स्तरीय ढ़ाचें का होता है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समिति, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष बैंक) स्थापित हैं। ग्रामीण साख तथा कृषि उत्पादन को ध्यान में रखकर कृषि के लिए संस्थागत साख की व्यवस्था पर विशेष ध्यान केन्द्रीत किया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को यथा समय एवं पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना हैं। ताकि कृषकों को कृषि वित्त हेतु साख सुलभ हो सके।

प्रमुख शब्द :– बैंक के उद्देश्य, ऋण वितरण प्रक्रिया, निधियाँ, कृषि एवं ग्रामीण विकास

प्रस्तावना

आर्थिक क्रियाओं में बैंक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य करते हैं। "बैंकिंग प्रणाली व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बचतों को गतिशीलता प्रदान कर उन्हें उत्पादक बनाते हैं।"[2] जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्राथमिक सहकारी समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता हैं तथा सदस्यों में मितव्ययता की भावना का विकास करता हैं। सदस्यों को अन्य बैंकिंग सुविधाएँ भी प्रदान करता हैं। कृषकों को कृषि कार्य हेतु ऋण प्रदान करना, उनके द्वारा बचतों में वृद्धि करना, अतिरिक्त धन के लिए समाशोधन–गृह के रूप में कार्य करना हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सहकारिता के माध्यम से कृषि साख की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही साथ आधुनिक बैंकिंग

1. डॉ. गुप्त शिवभूषण, कृषि अर्थशास्त्र, पृ.क्र. 114
2. डॉ. गुप्ता ओ. पी., बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, पृ.क्र. 6

क्रिया–कलापों को भी करता हैं। बैंक की संस्थागत साख का मूल उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता, अत्याधिक लगान, ब्याज तथा ऋण के दूषित चक्र को तोड़कर किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना हैं। जिससे कृषि कार्य और अधिक समृद्धशाली बनाया जा सके।

बैंक के उद्देश्य

बैंक की स्थापना का उद्देश्य एक संतुलन केन्द्र, समाशोधन ग्रह और वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना हैं। "ये शीर्ष बैंक से ऋण लेकर प्राथमिक साख समितियों की वित्तीय सहायता करते हैं। शीर्ष बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ही प्राथमिक साख समितियों को ऋण प्रदान करते हैं।"[3] केन्द्रीय बैंक अपने कार्य क्षेत्र में प्राथमिक साख समिति के माध्यम से कृषि साख की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती हैं। यह कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण सुविधाएँ प्रदान करती हैं। इनका मुख्य कार्य प्राथमिक साख समितियों एवं सदस्यों को साख सुविधाएँ उपलब्ध करवाना हैं। इसके लिए ये प्राथमिक साख समितियों के अतिरिक्त धन भी जमा करते हैं। कृषि साख में आज ग्रामीण स्तर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगाँव के विकास का अध्ययन।
- बैंक द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण का अध्ययन।
- बैंक के सदस्यों की स्थिति का अध्ययन।
- बैंक की कार्यशील पूँजी व ऋण वितरण का अध्ययन।

अनुसंधान प्रविधियाँ

किसी भी अनुसंधान कार्य में अनुसंधान प्रविधियाँ अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होती हैं। अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित समंकों का संकलन करने के लिए विभिन्न प्रविधियों का उपयोग किया जाता हैं ताकि सम्बन्धित समंकों को सरलता से एकत्रीत किया जा सके। अनुसंधान कार्य में सत्यता, प्रमाणिकता और विश्वसनीयता लाने के लिए निश्चित अनुसंधान प्रविधियों का चयन कर किया जाता हैं। जिससे कि हम किसी विषय पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। "अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान से सम्बन्धित एक ऐसे उपयुक्त अभिकल्प (Design) का चयन करना होता हैं। इसी चरण में आँकड़ों के संकलन के लिए विधि–तन्त्र

---

3. डॉ. गुप्ता बी. पी., सहकारिता के सिंद्धान्त एवं व्यवहार, पृ.क्र. 157

(Methodology) का चयन भी करना होता हैं और कभी–कभी विधि–तन्त्र को समस्या के स्वरूप के अनुसार विकसित भी करना पड़ता हैं।"[4] इस प्रकार शोध अध्ययन से प्राप्त संमक और परिणाम अधिक सत्य एवं प्रमाणिक होते हैं। शोध अध्ययन में सम्बन्धित क्षेत्र से समंकों के संकलन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनो प्रकार के समंकों को लिया गया हैं।

शोध अध्ययन का क्षेत्र

शोध कार्य में विषय चयन के पश्चात अध्ययन–क्षेत्र का चयन किया जाता हैं। प्राक्कल्पना की जाँच करने के लिए अध्ययन क्षेत्र का चयन महत्वपूर्ण चरण हैं। जिसमें क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्य एवं संमक की सत्यता की जाँच निर्भर करती हैं। शोध अध्ययन हेतु चयनित विषय "जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगाँव का कार्य क्षेत्र दो राजस्व जिला राजनांदगाँव एवं कबीरधाम में फैला हुआ हैं। जिसमें बैंक की 23 कृषि शाखाएँ और 6 अमानत शाखाएँ कुल 29 शाखाएँ कार्यरत हैं"[5] तथा बैंक के द्वारा 7 नवीन शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव हैं। बैंक से सम्बन्धित 89 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ जिला राजनांदगाँव तथा 46 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ जिला कबीरधाम में इस प्रकार कुल **135** साख समितियाँ कार्यरत हैं।

परिकल्पनाएँ

- हितग्राही बैंक से लाभान्वित हुए हैं।
- कृषक की बैंक में सदस्यता हेतु अधिक रूची हैं।
- बैंक के माध्यम से कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हैं।
- बैंक अपने कार्य क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

बैंक के वर्षावार कुल सदस्य एवं किसान क्रेडिट कार्ड

कृषकों द्वारा बैंक की सदस्यता ग्रहण करने में अधिक रूची हैं वे बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड से अपने अल्पकालीन कृषि ऋण की पूर्ति कर रहे हैं। प्रतिवर्ष सदस्यता ग्रहण करने वाले कृषक तथा वितरित अल्पकालीन ऋण का सम्बन्ध तालिका में निम्नानुसार स्पष्ट हैं:–

4. डॉ. कपिल एच. के., अनुसंधान विधियाँ, पृ.क्र. 20
5. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगाँव – 35वां वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका क्रमांक 1

क्र.	वर्ष	सदस्यों की संख्या	अल्पकालीन ऋण	प्रतिशत
1	2012–13	2,91,224	2,00,042	68.69
2	2013–14	3,23,086	2,00,720	62.13
3	2014–15	3,64,084	2,02,473	55.61
4	2015–16	3,75,059	1,98,355	52.88
5	2016–17	3,84,991	1,77,780	46.17
कुल		**17,38,444**	**9,79,370**	**56.57**

स्त्रोत :– वार्षिक प्रतिवेदन : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगाँव 2012–13 से 2016–17

रेखाचित्र क्रमांक 1

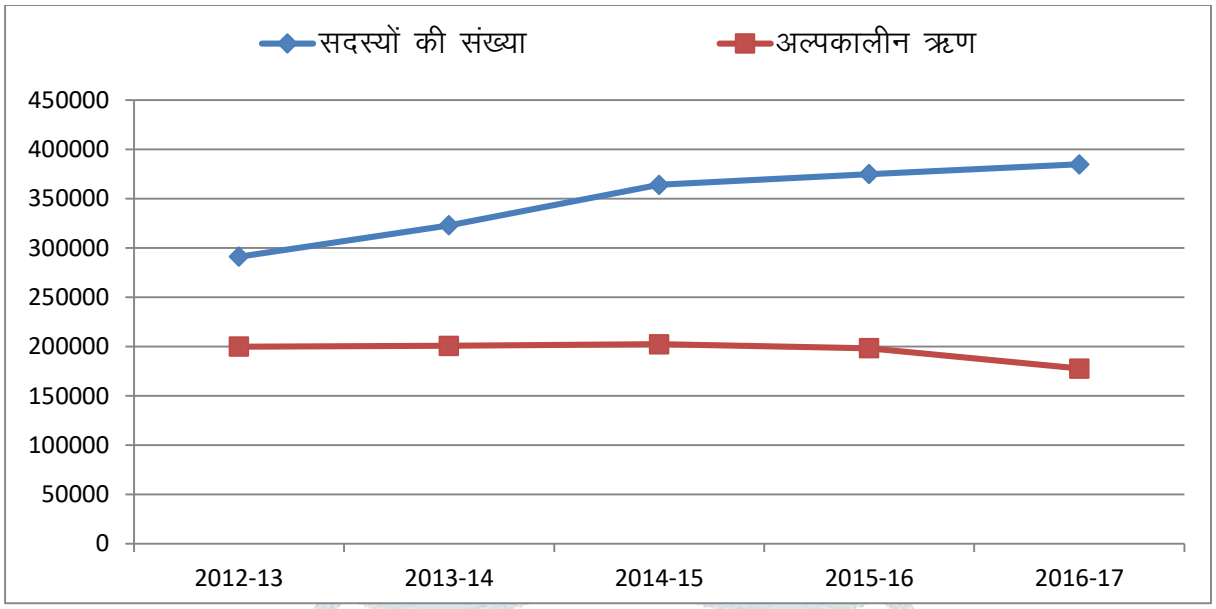

तालिका में बैंक के प्रतिवर्ष किये जा रहे साख प्रसार और वितरित अल्पकालीन ऋण का सम्बन्ध को दर्शाया गया हैं। जिसमें यह स्पष्ट है कि बैंक के साख प्रसार (सदस्य संख्या) में वृद्धि हो रही हैं किन्तु अल्पकालीन ऋणों के वितरण में कमी हो रही हैं। अध्ययन में इसका कारण ज्ञात किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश कृषक मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण लेने के कारण नही ले पाते, अधिक ऋण की चाह के कारण अन्य बैंकों से ऋण लेते हैं, बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण इन वर्ष में उचित रूप से नही कर पाना आदि। तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि बैंक में कृषक सदस्य की संख्या में वृद्धि हो रही है परन्तु अल्पकालीन ऋणें में वितरण में प्रतिवर्ष कमी हो रही है, जो बैंक की कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है।

बैंक की विभिन्न निधियाँ से उनका ऋण वितरण से सम्बन्ध

बैंक अपने कार्यशील पूँजी को ऋण वितरण एवं अन्य कार्यो में उपयोग करती हैं। बैंक कृषकों को ऋण का वितरण प्राथमिक साख समिति व अन्य समितियों के माध्यम से करती है। जो तालिका क्रमांक 2 के माध्यम से स्पष्ट किया गया हैं:–

तालिका क्रमांक 2 (राशि लाखों में)

क्र	वर्ष	कार्यशील पूँजी	ऋण वितरण	प्रतिशत
1	2012–13	69,627.31	25,349.80	36.40
2	2013–14	84,991.34	28,625.57	33.68
3	2014–15	1,05,616.03	35,248.42	33.37
4	2015–16	1,17,111.14	47,289.46	40.38
5	2016–17	1,40,312.08	44,509.07	31.72
कुल		**5,17,657.90**	**1,81,022.32**	**34.97**

स्त्रोत :– वार्षिक प्रतिवेदन : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगाँव 2012–13 से 2016–17

रेखाचित्र क्रमांक 2

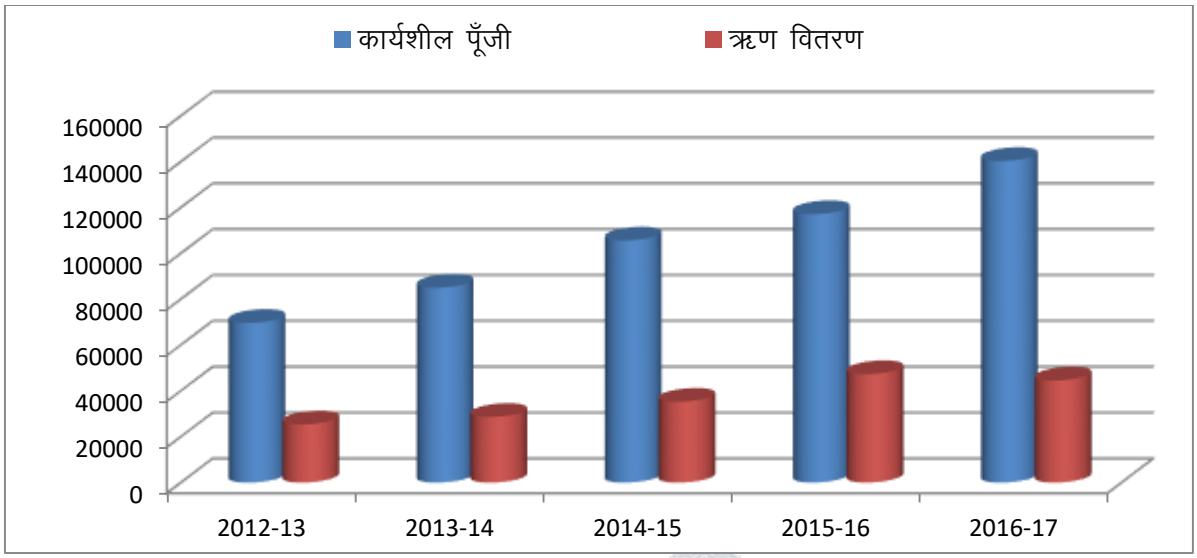

बैंक की कुल कार्यशील पूँजी और वितरित ऋण के मध्य सम्बन्ध ज्ञात किया गया। तालिका क्रमांक 2 में बैंक की कुल कार्यशील पूँजी और ऋण वितरण को स्पष्ट किया गया हैं। जिससे यह ज्ञात होता हैं कि बैंक अपने कार्यशील पूँजी से लगभग 34.97 प्रतिशत को ऋण के रूप में वितरित करती हैं। तथा शेष पूँजी का उपयोग विनियोग, प्रबन्धकीय कार्य, आधुनीक बैंकिंग सुविधा एवं अधो–संरचना के विकास में उपयोग करती हैं। बैंक के कार्यशील पूँजी में प्रतिवर्ष औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है परन्तु ऋण वितरण में अपेक्षाकृत वृद्धि नही हुई हैं। विगत 5 वर्षो में कार्यशील पूँजी और ऋण वितरण के मध्य सम्बन्ध क्रमशः 36.40प्रतिशत, 33.68प्रतिशत, 33.37प्रतिशत, 40.38प्रतिशत व 31.72प्रतिशत है। बैंक अपने कुल कार्यशील पूँजी में से आधे से अधिक भाग का उपयोग विकास तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यो पर करती है।

निष्कर्ष

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा फसल ऋण कृषकों को यथासमय एवं आसानी से प्रदान किया जा रहा है, परन्तु बैंक से अल्पकालीन ऋण लेने में कृषक सदस्यों अपनी रूची नही दिखा रहे है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य कृषि तथा कृषि सहायक कार्यो हेतु कृषकों को वित्तीय पोषित करना हैं। बैंक के सदस्य संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, और बैंक अपने कार्यशील पूँजी के लगभग 35 प्रतिशत भाग का उपयोग केवल ऋण वितरण में करती है। इस अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि बैंक की सदस्यता प्राप्त करने में कृषक अधिक रूची दिखा रहे है। अध्ययन वर्षो में कुल **17,38,444** कृषक सदस्यता ग्रहण कर चुके है एवं बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे है। कृषक बैंक ऋण वितरण के साथ आधुनीक सुविधाएं एवं सेवाओं पर भी ध्यान केन्द्रीत कर रही हैं। ताकि बैंक द्वारा कृषि साख सुविधा के साथ आधुनिक बैंकिंग कार्य कर ग्रामीणों तक आधुनिक बैंकिंग सुविधाए पहुंच सके।

समस्या

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्ययन के दौरान कुछ समस्याएँ भी सामने आयी। यह समस्या बैंक के क्रियाकलापों एवं कृषकों दोनो को प्रभावित कर रही है।

1. बैंक की ऋण वितरण प्रक्रिया जटिल है। कृषको को ऋण प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिससे कृषि कार्य प्रभावित होती है।
2. कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मात्रा में खाद उपलब्ध नही होते, कृषकों के अनुसार जितनी मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है वह कम है।
3. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कृषकों को पूर्ण लाभ नही मिल पा रहा है खाद, बीज, सूखा राहत के साथ फसल बीमा जैसी समस्याओं से कृषकों के उत्साह में कमी आ रही है।
4. बैंक के ऋण वितरण प्रक्रिया में अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप पाया गया जिसमें कृषकों को ऋण वितरण करने में पक्षपात किया जाता हैं।
5. बैंक में अनियमितता भी पायी गयी। ऋण वितरण के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा कृषकों से अनावश्यक रूप से आर्थिक लाभ मांगते है।

सुझाव

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगाँव के व्यवहारिता में सुधार एवं समस्याओं के समाधान हेतु कुछ प्रभावी सुझाव है जो बैंक तथा कृषक दोनो के लिए उपयोगी है।

1. बैंक द्वारा ऋण वितरण प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुविधाजनक किया जाना चाहिए। तथा ऋण राशि की मात्रा को भी बढ़ाया जाना चाहिए।
2. समितियों के द्वारा खाद, बीज के सही नापतौल एवं उचित पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिससे कि कृषकों को उचित रूप में उपलब्ध हो सके
3. धान के अलावा सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाना चाहिए एवं फसल बीमा तथा सूखा राहत जैसी योजनाओं का कृषकों को उचित लाभ पहुचाना चाहिए।
4. कृषक बैंक की मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज दर से असंतुष्ट है। अतः ब्याज दर में कमी कर कृषि कार्य अनुरूप किया जाना चाहिए
5. बैंक में केवल आवश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप होना चाहिए व अनावश्यक बाधाएँ ना हो। ताकि बैंक की क्रियाकलापों को नियमित रूप से संचालित किया जा सके।

बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु समयानुसार आवश्यक योजनाएँ बनाना चाहिए। जिससे कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ बैंक की स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची

1. डॉ. गुप्त शिवभूषण, कृषि अर्थशास्त्र, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाऊस, आगरा
2. डॉ. गुप्ता ओ. पी., बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा
3. डॉ. गुप्ता बी. पी., सहकारिता के सिंद्धान्त एवं व्यवहार, रमेश बुक डिपो, जयपुर
4. डॉ. कपिल एच. के., अनुसंधान विधियाँ, एच.पी. भार्गव बुक हाऊस, आगरा

5. वार्षिक प्रतिवेदन : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगाँव 2012–13 से 2016–17
6. ऋणनीति–जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगाँव 2015–16 व 2016–17
7. www.cg.gov.in

विषय – वाणिज्य